इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: स्टेट्समैन हाउस 148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
CIN: L74899DL1993PLC053034 **टेली.:** 011-42284301
ईमेल आईडी: info.isl1993@gmail.com
वेबसाइट: www.internationalsecuritiesltd.com

सूचना

इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड के भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र सं. **HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के सभी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से खारिज/लौटाए गए/संज्ञान में न लिए गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खुली है। जो निवेशक 06 जनवरी, 2026 की पूर्व समय सीमा (हस्तांतरण विलेखों को पुनः जमा करने की कट-ऑफ तिथि) से चूक गए हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, 2री मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-26387281, 7282, 7283, ईमेलः **info@masserv.com** को आवश्यक दस्तावेज जमा करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता./-
राजीव कुमार गुप्ता
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन-00039399

दिनांकः 24 अगस्त, 2026
स्थानः नई दिल्ली

Carlsberg India

कार्ल्सबर्ग इंडिया लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंज़िल, रेक्टेंगल नंबर 1, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डी4, साकेत, नई दिल्ली - 110017, भारत। **सीआईएन:** U15111DL2006PLC148579
टेलीफ़ोन: +91 124 6923530; **ईमेल:** cs@carlsberg.asia;
वेबसाइट: https://carlsbergindia.com/

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 201 के तहत यह सूचना दी जाती है कि कार्ल्सबर्ग इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") केंद्र सरकार (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) को अधिनियम की अनुसूची V के भाग 1 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 196 के तहत आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है। इस आवेदन का उद्देश्य श्री निलेश पटेल (डीआईएन: 01805278) को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में 21 मई, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 की अवधि के लिए नियुक्ति की अनुमोदन लेना है जो रोटेशन से सेवानिवृत्ति के दायरे में नहीं आएगी। इस नियुक्ति को निदेशक मंडल और कंपनी के सदस्यों ने क्रमशः 19 जून, 2026 और 09 जुलाई, 2026 को संपन्न अपनी बैठकों में मंज़ूरी दी है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 24 अगस्त 2026

कृते कार्ल्सबर्ग इंडिया लिमिटेड
कामना तिवारी
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. F7849

इंडियन बैंक Indian Bank

फरीदाबाद ओल्ड शाखा
सी–1087, पूरन एन्क्लेव ओल्ड फरीदाबाद
फरीदाबाद 121002 ईमेल :– F507@indianbank.co.in

अनुलग्नक VI **तिथि : 12.08.2026**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत सूचना – बैंक के पास दृष्टिबंधक तथा अ–दृष्टिबंधक चल संपत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में – (बैंक के पास अ–दृष्टिबंधक वस्तुओं का परित्याग)।

प्रति,
1. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री चंदर पाल (ऋणधारक तथा बंधककर्ता)
पता :– मकान संख्या 601, वार्ड संख्या 2, कैलाश नगर, अलावलपुर फाटक के पास, पलवल, हरियाणा 121102
2. श्री चंदर पाल पुत्र श्री सोनी (ऋणधारक)
पता :– मकान संख्या 601, वार्ड संख्या 2, कैलाश नगर, अलावलपुर फाटक के पास, पलवल, हरियाणा 121102
3. श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री फकीर चंद (गारंटीदाता)
पता :– मकान संख्या डी पी680, वार्ड संख्या 16, शिव विहार, शेखपुरा पलवल, तहसील तथा जिला पलवल 121102
4. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री बृज मोहन (गारंटीदाता)
पता :– मकान संख्या 553, वार्ड संख्या 11, शश फागना के पास, राम नगर, तहसील तथा जिला पलवल 121102

श्रीमान/श्रीमती,
विषय : ऋण खाता :– श्रीमती कमलेश तथा श्री चंदर पाल
सीआईएफ – 30183121251 इंडियन बैंक, फरीदाबाद ओल्ड शाखा के साथ

श्रीमती कमलेश तथा श्री चंदर पाल ने हमसे गृह ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। उक्त ऋण का पुनर्भुगतान संपत्ति/संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत है। श्रीमती कमलेश तथा श्री चंदर पाल बैंक को बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना तिथि 20.05.2024 के माध्यम से देय राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रतिभूतियों का कब्जा लेकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। चूंकि श्रीमती कमलेश तथा श्री चंदर पाल भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए बैंक ने 20.05.2026 को अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया।

कब्जा सूचना की एक प्रति संलग्न है।

कब्जा लेते समय, बैंक ने उन चल संपत्तियों/सामानों/वस्तुओं की सूची बनाई है, जो अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के भीतर पाई गई थीं।

बैंक ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के भीतर पाई गई उन वस्तुओं की सूची बनाई है, जो बैंक के पास दृष्टिबंधक नहीं हैं। इसकी एक प्रति संलग्न है/प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। आपको एतद्द्वारा 15 दिनों के समय के भीतर बैंक के पास अ–दृष्टिबंधक/अ–प्रभारित उक्त वस्तुओं को हटाने की व्यवस्था करने के लिए आह्वान किया जाता है।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक ऐसी वस्तुओं की किसी भी हानि/चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवर नहीं लेगा, क्योंकि वे बैंक के पास प्रभारित/दृष्टिबंधक नहीं हैं।

आप प्राधिकृत अधिकारी के साथ अग्रिम रूप से निश्चित किए जाने वाले समय पर अपने खर्च तथा व्यय पर उन चल संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप उन चल संपत्तियों को तुरंत तथा/अथवा 15 दिनों के भीतर नहीं हटाते हैं, तो बैंक इस संबंध में आपको बिना किसी अग्रिम संदर्भ के उन वस्तुओं का परित्याग करने के लिए बाध्य होगा।

प्रतिभूतियों के किसी भी बीमा तथा/अथवा मूल्य में गिरावट के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। वस्तुएं केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक पृथक स्थान पर रखी गई हैं, यद्यपि बैंक पर ऐसा कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

इस सूचना के 15 दिनों के भीतर सामान की सुपुर्दगी लेने के लिए अंतिम सूचना समझें, ऐसा न करने पर बैंक सभी वस्तुओं का परित्याग करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए आप तथा केवल आप ही उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।

5. अनुसूची
उन आस्तियों का विशिष्ट विवरण जिनका कब्जा लिया गया है, निम्नानुसार है :

बंधक आस्तियां

खेवट/खाता संख्या 223/237 मुस्तिल संख्या 41 किला संख्या 17(5–11), कैलाश नगर, वार्ड संख्या 2, पलवल, हरियाणा, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, श्रीमती कमलेश पत्नी श्री चंदर पाल के नाम पर।

स्थान : फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 12–08–2026 **इंडियन बैंक, फरीदाबाद ओल्ड शाखा**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

शाखा कार्यालय : इन्दिरापुरम, 12ए, अहिंसा खण्ड, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014, फोन : 0120-2650404, ई-मेल : i0883@psb.bank.in

मोचन सूचना

तिथि: 24-08-2026

1. श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ऋषि शर्मा, मकान नंबर सी 171 गली नंबर 9 तुलसी पान वाला के पास, जनकपुरी पसौंदा साहिबाबाद गाजियाबाद 201005
2. श्री ऋषि शर्मा, मकान नंबर -171 गली नंबर 9 तुलसी पान वाला के पास, जनकपुरी पसौंदा साहिबाबाद गाजियाबाद 201005
3. श्री हर्षित शर्मा पुत्र श्री ऋषि शर्मा मकान नंबर -171 गली नंबर 9 पान वाला के पास, जनकपुरी पसौंदा साहिबाबाद गाजियाबाद 201005

प्रिय महोदय / महोदया

विषयः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''सरफैसी अधिनियम'') की धारा 13(8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के अनुसार, श्रीमती गीता शर्मा तथा श्री ऋषि शर्मा 08831200632105 शाखा इन्दिरापुरम के खाते में मोचन हेतु सूचना।

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूति परिसंपत्ति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु एक उपाय के रूप में 01-06-2019 को सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना निर्गत की।

इसके बाद, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए, 20-08-2019 को प्रतिभूति परिसंपत्ति पर कब्जा कर लिया।

चूंकि आपके द्वारा बैंक के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कर्जदारों तथा जमानतियों से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों की संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय-सीमा (अर्थात 30 दिन) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के अंतर्गत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना के प्रकाशन या पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरण निम्नानुसार है:
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई नीलामी तिथि और समय : 25/09/2026 **सुबह** 11:00 **बजे से दोपहर** 01:00 **बजे तक**
निरीक्षण की तिथि : 23/09/2026 **सुबह** 11:00 **बजे से शाम** 04:00 **बजे के बीच**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 24/09/2026 **शाम** 4:00 **बजे तक**

कर्जदार और जमानती का नाम:
कर्जदार : श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ऋषि शर्मा तथा श्री ऋषि शर्मा
गारंटर : श्री हर्षित शर्मा पुत्र ऋषि शर्मा

मांग सूचना तिथि तथा राशि खाता विवरण:
01.06.2019 रु. 55,32,057/: के लिए + 01.06.2019 से भावी ब्याज एवं लागत

31.07.2026 तक कुल बकाया : रु. 69,88,821.04/-

संपत्तियों का विवरण:	एमआरपी
1. मकान नं. ए 109, खसरा नं. 1027 मिन में से, ब्लॉक ए, गली नं. 05, जनकपुरी, पसोंदा, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद	रु. 62,05,000/-

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

शाखा कार्यालय : इन्दिरापुरम, 12ए, अहिंसा खण्ड, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014, फोन : 0120-2650404, ई-मेल : i0883@psb.bank.in

परिशिष्ट IV-A
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार के श्रीमती गीता शर्मा और श्री ऋषि शर्मा (कर्जदार) और श्री हर्षित शर्मा (गारंटर) से बकाया रु. 69,88,821.04/- (31.07.2026 तक + 01.08.2026 से भावी ब्याज और लागत) की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' आधार पर 25.09.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 62,05,000/- और जमा धरोहर राशि रु. 6,20,500/- होगी।

ज्ञात ऋणभार के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो): मकान नंबर ए 109, खसरा नंबर 1027 मिन में से, ब्लॉक ए, गली नंबर 05, जनकपुरी, पसौंदा, परगना लोनी जिला गाजियाबाद बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट यानी **www.punjabandsindbank.in** में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 24.08.2026, स्थान : गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक**

फॉर्म नं. 14
[विनियम 33(2) देखें]
सभी अनुमत तरीकों से

वसूली अधिकारी I/II का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

RC/167/2024 **18–07–2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम वैशाली जैन

प्रति
(सीडी 1) वैशाली जैन पत्नी पंकज जैन
(सीडी 2) पंकज जैन पुत्र एन. सी. जैन
दोनों निवासी ए–266 सूरजमल विहार, दिल्ली–110092
(सीडी 3) श्री प्लैटिनम सॉफ्टेक पी. लिमिटेड (बिल्डर/डेवलपर) ए–169, द्वितीय तल, मंडावली फजलपुर, गंगा राम गली शकरपुर, दिल्ली–110092

एतददारा सूचित किया जाता है कि TA/875/2022 में ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आप पर रु 11963818.40 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ अठारह और पैसे चालीस मात्र) की राशि, 07/05/2018 से वसूली तक 8.85% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लंबित और भविष्य के ब्याज तथा रु 122000 (रुपये एक लाख बाईस हजार मात्र) की लागत सहित, देय हो गई है (संयुक्त रूप से और पृथक रूप से/ पूर्णतः/ सीमित)।

2. आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वसूली बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. आपको एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि आगे की कार्यवाही के लिए 21/11/2026 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

5. उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे: (ए) इस नोटिस के तुरंत बाद प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की अवधि के लिए देय ऐसा ब्याज। (इ) इस नोटिस और वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी खर्चे, प्रभार और व्यय तथा देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में हुए सभी खर्चे, प्रभार और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर इस तारीख को: 18/07/2026 के अधीन,हैं।

निरंजन शर्मा,
वसूली अधिकारी -II
ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 1)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

12/14, वेव सिनेमा के पास, कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010
फोन: 0120-2773377, ईमेल: **k1226@psb.bank.in**

विमोचन सूचना **दिनांक: 21.08.2026**

1. **श्री कलीम हैदर, पुत्र श्री कमरुल हुदा (ऋणी)**, निवासीः फ्लैट नं ए 6, यूजीफ एलआईजी, प्लॉट नं 48, विक्रम एन्क्लेव, शालीमार गार्डन VII, पासोंडा, गाजियाबाद, उ. प्र.
   अन्य पता: 138/3, ब्लॉक एफ, अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट-2, शाहीन बाग, जामिया नगर, दिल्ली 110025
   अन्य पता: एफ 128/3, अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट-2, शाहीन बाग, जामिया नगर, दिल्ली 110025
   अन्य पता: मकान नं 41/12, गली नं 12, एच ब्लॉक, जय प्रकाश नगर, दिल्ली 110063
   अन्य पता: डी95, 2री फ्लोर, अलहलाल अपार्टमेंट, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, दिल्ली 110025
2. **श्रीमती रन्नक परवीन, पुत्री श्री नसीम अख्तर (सह-ऋणी)**, निवासीः फ्लैट नं ए 6, यूजीफ एलआईजी, प्लॉट नं 48, विक्रम एन्क्लेव, शालीमार गार्डन, पासोंडा, गाजियाबाद, उ. प्र.-201101
3. **श्री अमित कुमार राय, पुत्र श्री शिव मुनि राय (गारंटर)**, निवासीः 2 आरएच/48, सेक्टर 2, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

प्रिय महोदय / महोदया,

विषयः श्री कलीम हैदर एवं श्रीमती रन्नक परवीन के खाता सं. 12261200000153, शाखा कौशाम्बी के संबंध में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) के तहत आपको प्राप्त अधिकार के संदर्भ में संपत्ति विमोचन का की सूचना

जैसा कि आप अवगत हैं कि बैंक के अधिकृत अधिकारी ने संबंधित ऋण खाते में आपके द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी गई बंधक संपत्ति पर प्रतिभूति हित लागू करने के उपाय के रूप में 10.08.2019 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया था।

तत्पश्चात, अधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए 20.03.2020 को बंधक संपत्ति का कब्जा ले लिया था।

चूंकि आप बैंक की देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त ऋणी एवं गारंटरों से बैंक के बकाया ऋण की वसूली हेतु नीचे वर्णित बंधक संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है।

सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (यानी 30 दिन) के संबंध में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सार्वजनिक नीलामी या कोटेशन/निविदा आमंत्रित करने या पट्टे, अंतरण अथवा बिक्री के माध्यम से बंधक संपत्ति के हस्तांतरण के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि से धारा 13(8) के तहत आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि व समय : 25.09.2026, **प्रातः** 11:00 **बजे से दोपहर** 01:00 **बजे तक**
निरीक्षण की तिथि : 23.09.2026 , **प्रातः** 11:00 **बजे से अपराह्न** 04:00 **बजे के बीच**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 24.09.2026, **अप.** 04:00 **बजे तक**

ऋणी एवं गारंटरों के नामः ऋणीः श्री कलीम हैदर, पुत्र श्री कमरुल हुदा
सह-ऋणीः श्रीमती रन्नक परवीन, पुत्री श्री नसीम अख्तर
गारंटरः श्री अमित कुमार राय, पुत्र श्री शिव मुनि राय

मांग सूचना की तिथि व राशि / खाता विवरणः 10.08.2019, राशि रु 14,09,618.58/- (01.05.2019 तक) प्लस उस पर देय भविष्य का ब्याज और लागत। खाता सं.: 12261200000153

31.07.2026 तक कुल बकाया राशिः रु. 30,04,354.77

संपत्तियों का विवरण	एमआरपी (रु. में)
1. एलआईजी फ्लैट नं. ए 6, अपर ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकार के बिना), प्लॉट नं. 48, विक्रम एन्क्लेव, पासोंडा, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रु. 15,00,000/-

अधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक
मीरा बाग शाखा

सार्वजनिक सूचना

लॉकरों के बकाया किराए के संबंध में सार्वजनिक सूचना। आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, मीरा बाग शाखा में निम्नलिखित विवरण वाले अतिदेय लॉकर हैं:

क्र. सं.	लॉकर संख्या	किराएदार का नाम	पता	बकाया राशि	अंतिम संचालन की तिथि	गिरफ्तारी की तारीख
1	48	संदीप मल्होत्रा	45, पहली मंजिल, मीरा एन्क्लेव, डीडीए कॉलोनी, चौखंडी, नई दिल्ली 110018	17110/–	23.05.2018	20.08.2026
2	24	जीनू मल्होत्रा	45, पहली मंजिल, मीरा एन्क्लेव, डीडीए कॉलोनी, चौखंडी, नई दिल्ली 110018	17110/–	23.05.2018	20.08.2026

उपरोक्त लॉकर धारकों को शाखा द्वारा पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया था, जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः लॉकर धारक या लॉकर धारक के कानूनी उत्तराधिकारी से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के 15 दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करें और लॉकर का पूरा बकाया किराया अदा करें। बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, कानूनी प्रक्रिया के तहत लॉकर तोड़ दिया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक, मीरा बाग शाखा

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

ई-नीलामी बिक्री सूचना

सी-1ए, सैक्टर-63, नोएडा, फोन 0120-4314956

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना 25.09.2026 पूर्वा 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक

बैंक के प्रभाराधीन अचल आस्तियों की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारीगण निम्नलिखित ऋण खातों में नीचे दिए विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नीचे खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की गई सूचना के अनुसरण में अधोवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उनको "जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है" आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित प्राप्त कर चुके है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री **https://baanknet.com/** वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर और शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण / सम्पत्ति आईडी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या	कब्जे की स्थिति	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (रु.) + भविष्य का ब्याज और उस पर अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धिशील राशि	फोटो और विडियों के लिए क्यूआर कोड	संपत्ति की छवि के लिए क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता के लिए क्यूआर कोड
1.	उधारकर्ता– 1 श्री कलीम हैदर पुत्र श्री कमरुल होदा श्रीमती रन्नाक परवीन पुत्री श्री नसीम अख्तर (सह–उधारकर्ता) श्री अमित कुमार राय पुत्र श्री शिव मुनि राय (गारंटर) शाखा – कौशाम्बी	संपत्तिः 1 एलआईजी फ्लैट सं. ए 6 ऊपरी भूतल (बिना छत अधिकार) प्लॉट सं. 48 विक्रम एन्क्लेव पसोंडा लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल – 450 वर्ग फीट संपत्ति आईडी – PSIB0021220	आर ओ– नोएडा सेक्टर 63 मोबाइल – 7065743525 नामः श्री शशि भूषण प्रसाद ई–मेल – shashi.bhushan@psb.bank.in	भौतिक कब्जा	10.06.2019 रु. 14,09,618.58 (दिनांक 01.06.2019 तक) + भावी ब्याज एवं लागत इत्यादि	रु. 1500000/- रु. 150000/- रु. 25000/-			
2	उधारकर्ता – मेसर्स हुमा टेक्सटाइल प्रोपराइटरः मोहम्मद फारूक पुत्र नसरुद्दीन अंसारी मोहम्मद अरशद अंसारी पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद फारूक (गारंटर) मोहम्मद अहतेशामुल हक अंसारी (गारंटर) उधारकर्ता – श्री ब्रजपाल शर्मा, शाखा – मेरठ दीवान पब्लिक स्कूल	मकान सं. 779/1 (पुराना) 858 (नया) खसरा सं. 467 आजाद कॉलोनी इस्लामाबाद मेरठ (उत्तर प्रदेश) में स्थित संपत्ति आईडी – -PSIB0013162	शाखा – बेगम ब्रिज मेरठ मोबाइल – 7983906797 नामः श्री शिवानंद मिश्रा ई–मेल – shiva.mishra@psb.bank.in	सांकेतिक कब्जा	26.07.2024 रु. 700660.76 दिनांक 01.07.2014 तक + भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि	रु. 4145000 रु. 414500/- रु. 25000/-			
3	उधारकर्ताः श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह सह–उधारकर्ता श्री विनोद कुमार सिंह गारंटर श्री राजीव कुमार वशिष्ठ शाखा – छिजारसी	आवासीय मकान सं. 03, खसरा सं. 136, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सेक्टर 23, संजय नगर, रियासपुर, जिला गाजियाबाद आकारः 94 वर्ग गज संपत्ति आईडी PSIB0012232	शाखा – अट्टा, नोएडा मोबाइल – 7275657598 नामः श्री अतुलेश कुमार ई–मेल – Atulesh.Kumar@psb.bank.in	सांकेतिक कब्जा	01.08.2024 रु. 795810.12 + दिनांक 31.07.2024 से भावी ब्याज एवं लागत इत्यादि	रु. 3448000/- रु. 344800/- रु. 25000/-			
4	उधारकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र– खुबी राम सह–उधारकर्ता श्रीमती पुष्पा पत्नी मनोज कुमार शाखा – छिजारसी	फ्लैट सं. III एफ–312/ए, प्रथम तल, आच्छादित क्षेत्रफल 51.15 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. III एफ–312/ए में स्थित, नेहरा नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संपत्ति आईडी PSIB0012668	शाखा – अट्टा, नोएडा मोबाइल – 7275657598 नामः श्री अतुलेश कुमार